माननीय आर. एस. मोंगिया, जे. के सामने

अरुण कुमार मिश्रा और ओ टी एच ई आर एस,-याचिकाकर्ता।

बनाम

द्वारा महर्षि द्वारायानंद्वारा विश्वविद्वाराय्यालय, रोहतक थ्रू इसका रजिस्ट्रार और अन्य,-उत्तरदाता;

1991 की सिविल रिट याचिका *संख्या* 2160
9 जुलाई, 1992।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद *226-शिक्षा* विनियम *1981-विनियम 10-फार्मेसी* अधिनियम, *1948-धारा* 10-क्या *विश्वविद्यालय द्वारा* आयोजित की *जाने वाली परीक्षा को भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना है कि क्या उक्त परीक्षा शिक्षा विनियमों के अनुरूप है।*

माना जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा को फार्मेसी अधिनियम की खंड 12 (2) के तहत भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और भारतीय फार्मेसी परिषद को संतुष्ट होना चाहिए कि उक्त परीक्षा शिक्षा विनियमों के अनुरूप है।जब विश्वविद्यालय की परीक्षा को भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था, तो यह माना जाता है कि यह परीक्षा आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों से अवगत है।भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा परीक्षा को तभी मंजूरी दी गई जब यह संतुष्ट हो गया कि सभी शर्तें शिक्षा विनियमों के अनुरूप थीं।

(पैरा 8)

अमृत पॉल, अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता की ओर से।*

विक्रांत शर्मा, प्रतिवादी *संख्या 1 के* लिए अधिवक्ता |

जे. वी. यादव, डीएजी, हरियाणा प्रतिवादी संख्या *2 और 3 से।*

जी. बी. एस. सोधी, *प्रतिवादी संख्या 4 के लिए* स्थायी वकील।

निर्णय

आर. एस. *मोंगिया जे.* (मौखिक)

(1) इस रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा फार्मेसी अधिनियम, 1948 (केंद्रीय) अधिनियम संख्या 8, 1948 की धारा 10 के अनुसार बनाया गया शिक्षा विनियमों, 1981 के विनियमन 10 और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा फार्मेसी में डिप्लोमा से संबंधित विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के खंड 5 के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए विनियमों को "काउंसिल

रेगुलेशन" और विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए अध्यादेश को "विश्वविद्यालय अध्यादेश" के रूप में आगे जाना जाएगा। परिषद विनियमों के विनियम 10" और विश्वविद्यालय अध्यादेशों के खंड 5 को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

परिषद के नियम

*"10. फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग-IIA) के लिए परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्रता।— केवल ऐसा छात्र जो इस बात के प्रमाण के लिए संबंधित संस्थान के प्रमुख से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि उसने द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का नियमित रूप से और संतोषजनक रूप से पालन किया है और कम से कम 75 प्रतिशत कक्षाओं में भाग लिया है (प्रत्येक विषय के सिद्धांत और व्यावहारिक दोनों में अलग-अलग) और फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग-I) के लिए परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है, वह नीचे दी गई तालिका में दिए गए फार्मेसी में डिप्लोमा * (भाग-IIA) की परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा।हालाँकि, यदि छात्र ने प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और डिप्लोमा इन फार्मेसी (भाग-I) परीक्षा में सभी विषयों में उपस्थित हुआ है, तो टी. डब्ल्यू. सी. सिद्धांत पत्रों और दो व्यावहारिक में उसकी विफलता उसे द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में भाग लेने से नहीं रोकेगी:*

बशर्ते कि ऐसे उम्मीदवार की डिप्लोमा इन फार्मेसी (भाग-IIA) परीक्षा का परिणाम उसके डिप्लोमा इन फार्मेसी (भाग-I) के लिए परीक्षा के सभी विषयों को उत्तीर्ण करने के बाद ही घोषित किया जाएगा।

(प्रासंगिक उद्धरण)

विश्वविद्यालय अध्यादेश

5. *एक व्यक्ति जिसने इस विश्वविद्यालय की फार्मेसी (भाग-I) परीक्षा में डिप्लोमा या उसके समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह फार्मेसी वर्ग में दूसरे वर्ष के डिप्लोमा में शामिल होने के लिए पात्र होगा।*

एक उम्मीदवार, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट-टी वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में उपस्थित होता है और दो से अधिक थ्योरी पेपर (ओं) और दो प्रैक्टिकल (ओं) में विफल रहता है, वह भी दूसरे वर्ष के डिप्लोमा इन फार्मेसी वर्ग में शामिल होने के लिए पात्र होगा।हालांकि, ऐसे छात्र नहीं होंगे

जब तक वे सभी विषयों में भाग-1 परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं, तब तक वे भाग-IIA परीक्षा में उपस्थित होने के पात्र हैं।"

(प्रासंगिक उद्धरण)।

(2) फार्मेसी में डिप्लोमा करने वाले पाठ्यक्रम की अवधि दो साल है।परीक्षा को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें भाग-I और भाग-IIA के रूप में जाना जाता है, इसके बाद चार महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और इसे भाग-IIB के रूप में जाना जाता है। भाग-I परीक्षा, एक वर्ष के अध्ययन के बाद और भाग-II-A एक वर्ष के अध्ययन के पूरा होने के बाद आयोजित की जाती है।फार्मेसी अधिनियम की खंड 12 में यह प्रावधान है कि फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत होने के लिए अध्ययन और परीक्षाओं का कौन सा अनुमोदित पाठ्यक्रम है।खंड 12 नीचे उद्धृत की गई हैः—

"किसी राज्य में कोई भी प्राधिकारी जो फार्मासिस्ट के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम का संचालन करता है, पाठ्यक्रम के अनुमोदन के लिए केंद्रीय परिषद को आवेदन कर सकता है, और केंद्रीय परिषद, यदि ऐसी जांच के बाद संतुष्ट हो जाती है जो वह करना उचित समझती है, कि अध्ययन का उक्त पाठ्यक्रम शिक्षा विनियमों के अनुरूप है, तो 'अध्ययन के उक्त पाठ्यक्रम को फार्मासिस्टों के लिए अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश के उद्देश्य से अध्ययन का एक अनुमोदित पाठ्यक्रम घोषित करेगा।

(2) *किसी राज्य में कोई भी प्राधिकरण जो फार्मेसी में परीक्षा आयोजित करता है, परीक्षा के अनुमोदन के लिए केंद्रीय परिषद को आवेदन कर सकता है, और केंद्रीय परिषद, यदि संतुष्ट हो, तो ऐसी जांच के बाद जो वह करना उचित समझती है, कि शिक्षा विनियमों के अनुरूप उक्त परीक्षा, इस अधिनियम के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के उद्देश्य से उक्त परीक्षा को एक अनुमोदित परीक्षा घोषित करेगी।*

(3) *राज्यों में प्रत्येक प्राधिकरण जो अध्ययन का एक अनुमोदित पाठ्यक्रम आयोजित करता है या एक अनुमोदित परीक्षा आयोजित करता है, ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जो केंद्रीय परिषद, समय-समय पर, अध्ययन और प्रशिक्षण और परीक्षा के पाठ्यक्रमों के बारे में, उन उम्रों के बारे में जिन पर अध्ययन और परीक्षा के ऐसे पाठ्यक्रमों से गुजरना आवश्यक है और आम तौर पर अध्ययन और परीक्षा के ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यकताओं के बारे में।"*

(3) वर्तमान मामले में, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा आयोजित परीक्षा जो फार्मेसी में डिप्लोमा के लिए अग्रणी है, भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा खंड 12 (2) (*उक्त*) के तहत एक अनुमोदित परीक्षा *है।*

(4) उपरोक्त काउंसिल रेगुलेशन 10 के अवलोकन से पता चलता है कि एक उम्मीदवार जो फार्मेसी पार्ट- I परीक्षा में दो से अधिक थ्योरी पेपर और दो प्रैक्टिकल में फेल नही होता है,

उसे पार्ट- IIA में अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति है और भाग-IIA की परीक्षा में उसे उपस्थित होने की भी अनुमति है और साथ-साथ भाग-I की परीक्षा के उन पेपरों में उसे उपस्थित होने की भी अनुमति है, जिनमें उम्मीदवार भाग-I में अनुत्तीर्ण हो गया था। एकमात्र शर्त यह है कि भाग-IIA परीक्षा का परिणाम केवल तभी घोषित किया जाएगा जब उम्मीदवार भाग-I के सभी पेपर पास कर लेगा। हालाँकि, ऊपर उद्धृत विश्वविद्यालय अध्यादेश के तहत, एक उम्मीदवार जो भाग-I में दो से अधिक सैद्धांतिक पेपरों और दो प्रैक्टिकल में असफल नही रहता है, हालाँकि उसे भाग-IIA में अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति है, उसे साथ-साथ भाग-IA की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है, भाग- I के पेपर के साथ, जिसमें एक उम्मीदवार असफल हो सकता है। पार्ट-I के सभी पेपरों में उत्तीर्ण होने के बाद ही उसे पार्ट-IIA परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के अनुसार काउंसिल रेगुलेशन" और यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के बीच सीधा टकराव है और चूंकि काउंसिल रेगुलेशन केंद्रीय अधिनियम के तहत बनाए गए हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस को उन्हें रास्ता देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, संघर्ष की स्थिति में, परिषद विनियमों को विश्वविद्यालय अध्यादेशों पर प्रभावी होना चाहिए।

(5) प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क बहुत आकर्षक लगता है क्योंकि; ऊपर उद्धृत, परिषद विनियमन और विश्वविद्यालय अध्यादेश के बीच स्पष्ट विरोधाभास प्रतीत होता है| हालाँकि, जब मामले की थोड़ी विस्तार से जांच की जाती है, तो मुझे पता चलता है कि वास्तव में कोई विरोधाभास नहीं है और "विश्वविद्यालय अध्यादेश" जिसके तहत याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा दी, उसे लागू होना चाहिए।

(6) फार्मेसी अधिनियम की खंड 10, जिसके तहत भारतीय फार्मेसी परिषद ने शिक्षा विनियम बनाए हैं, निम्नानुसार चलती हैः—

(I) *"इस खंड के प्रावधानों के अधीन, केंद्रीय परिषद, केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन हो सकती है।फार्मासिस्ट के रूप में योग्यता के लिए आवश्यक शिक्षा के न्यूनतम मानक को निर्धारित करते हुए, शिक्षा विनियम कहे जाने वाले विनियम बनाएँ।*

(II) *विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, शिक्षा विनियम निर्धारित कर सकते हैः—*

i. *किसी परीक्षा में प्रवेश से पहले किए जाने वाले अध्ययन और व्यावहारिक प्रशिक्षण की प्रकृति और अवधि;*

ii. *अध्ययन के अनुमोदित पाठ्यक्रमों से गुजर रहे छात्रों के लिए उपकरण और सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।*

iii. *परीक्षा के विषय और उनमें प्राप्त किए जाने वाले मानक;*

iv. परीक्षाओं में प्रवेश की कोई अन्य शर्तें।

(III) शिक्षा विनियमों के मसौदे और उसके बाद के सभी संशोधनों की प्रतियां केंद्रीय परिषद द्वारा सभी राज्य सरकारों को प्रस्तुत की जाएंगी और केंद्रीय परिषद, यथास्थिति, शिक्षा विनियमों या उनके किसी भी संशोधन को उप-धारा (1) के तहत अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार के रूप में प्रस्तुत करने से पहले, उपरोक्त प्रतियों को प्रस्तुत करने के तीन महीने के भीतर प्राप्त किसी भी राज्य सरकार की टिप्पणियों को ध्यान में रखेगी।

(IV) शिक्षा विनियमों को आधिकारिक राजपत्र में और इस तरह से प्रकाशित किया जाएगा जैसे कि केंद्रीय परिषद निर्देश दे।

(V) कार्यकारी समिति समय-समय पर शिक्षा विनियमों की प्रभावशीलता पर केंद्रीय परिषद को रिपोर्ट करेगी और केंद्रीय परिषद को ऐसे संशोधनों की सिफारिश कर सकती है जो वह उचित समझे।"

(7) ऊपर उद्धृत धारा 10(1) की प्रारंभिक पंक्तियाँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को दी गई शक्ति, फार्मासिस्ट के रूप में योग्यता के लिए आवश्यक शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करने वाले नियम बनाने के लिए है। धारा 10(2)(डी) फार्मेसी काउंसिल को परीक्षाओं में प्रवेश की कोई अन्य शर्तें निर्धारित करने की शक्ति देता है। इसी धारा के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा शिक्षा नियम बनाए गए थे और विनियमन 10 परीक्षाओं में प्रवेश के लिए कुछ शर्तें निर्धारित करता है। प्रतिवादी विश्वविद्यालय के वकील और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के वकील की दलील यह है कि फार्मेसी अधिनियम की धारा 10 के तहत बनाए गए विनियमों में केवल न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं, विश्वविद्यालय जो परीक्षा निकाय है, निर्धारित कर सकता है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अधिक सख्त नियमों या शर्तों पर उच्चतर। तो उनके अनुसार, अध्यादेश के विनियम 10 और खंड 5 के बीच कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि अध्यादेश 5 विनियम 10 द्वारा निर्धारित की तुलना में अधिक सख्त शर्त है जो कि न्यूनतम मानक है, और, परिणामस्वरूप, कोई दोष नहीं पाया जा सकता है विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी शर्त रखी गई है|

(8) उपरोक्त के अलावा, मुझे लगता है कि जो परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानी है, उसे फार्मेसी अधिनियम की धारा 12(2) के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, जिसे पहले ही ऊपर उद्धृत किया जा चुका है, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि उक्त परीक्षा शिक्षा विनियमों के अनुरूप है। जब विश्वविद्यालय की परीक्षा को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किया गया था, तो यह माना जाता है कि विश्वविद्यालय ने परीक्षा आयोजित करने के लिए जो शर्तें निर्धारित की थीं, उनसे अवगत था। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा परीक्षा को मंजूरी तभी

दी गई जब वह संतुष्ट हो गई कि सभी शर्तें शिक्षा विनियमों के अनुरूप थीं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से पेश विद्वान वकील श्री जीबीएस सोढ़ी ने 11 दिसंबर, 1990 को आयोजित फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यकारी समिति की 51वीं बैठक के मिनट्स को भी मेरे ध्यान में लाया है, जिसमें यह है कहा गया कि परिषद ने 17/18 जनवरी, 1987 को आयोजित कार्यकारी समिति की 120वीं बैठक के निर्णय को इस आशय से नोट किया था कि यदि वांछित हो तो पाठ्यक्रम और आयोजित परीक्षा में उच्च/अधिक सख्त शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं। शिक्षा विनियम फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम शर्तें निर्धारित करते हैं। मेरे विचार से, यह निर्णय फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 10(1) के अनुरूप है, जो प्रावधान करता है कि विनियमों द्वारा परिषद परीक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित कर सकती है।

(9) ऊपर उल्लिखित चर्चा से, मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय अध्यादेशों के अध्यादेश 5 में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है और वही परिषद विनियमन 10 पर लागू होगा।

(10) मैं इस मामले में जो विचार रख रहा हूं, उसके अनुसार याचिकाकर्ता भाग-I के सभी पेपर पास करने से पहले महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा आयोजित डिप्लोमा इन फार्मेसी की भाग-IIA परीक्षा में बैठने के हकदार नहीं होंगे। हालाँकि, वर्तमान रिट याचिका में इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों के आधार पर, याचिकाकर्ताओं को भाग-I के प्रश्नपत्रों के साथ भाग-IIA परीक्षा में अनंतिम रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी, जिसे वे पास करने में असफल रहे थे। याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा यह दर्शाया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 3, 4 और 5 अर्थात् विनय गुप्ता, संजय कुमार और राज कुमार ने भाग- I परीक्षा के सभी पेपर उत्तीर्ण कर लिए हैं, और वास्तव में, मेरे आदेश दिनांक 30 के आधार पर अप्रैल, 1992, पार्ट-IIA परीक्षा का उनका परिणाम, जिसमें उन्हें अनंतिम रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी, भी अनंतिम रूप से घोषित कर दिया गया है, और जिन याचिकाकर्ताओं ने पार्ट-IIA के सभी पेपर पास नहीं किए थे, वे पहले ही पार्ट-IIA परीक्षा में फिर से उपस्थित हो चुके हैं। उन कागजात में, याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा आगे यह दर्शाया गया है कि वह इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं नंबर 1 और 2, अर्थात् अरुण कुमार मिश्रा और बिजेंदर सिंह के मामले पर दबाव नहीं डाल रहे हैं और उनकी रिट याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(11) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता संख्या 3, 4 और 5 ने भाग-IIA का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और इस न्यायालय के अंतरिम कोडर के आधार पर वे भाग-IIA परीक्षा में भी उपस्थित हुए हैं, मैं इसे उचित नहीं मानता हूं इस तथ्य के बावजूद कि कानून के मुद्दे पर मैं याचिकाकर्ताओं के वकील से सहमत नहीं हूं, घड़ी को पीछे कर देना चाहिए| पूरी तरह से समान आधार पर यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता संख्या 3, 4 और 5 के भाग-IIA परीक्षा के परिणाम को इस तरह घोषित किया जाएगा जैसे कि उन्होंने वैध रूप से भाग-IIA परीक्षा दी हो।

(12) याचिकाकर्ता संख्या 3,4 और 5 के *ऊपर* की गई टिप्पणियों के अधीन, इस रिट

याचिका को खारिज कर दिया जाता है।हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

वियोग से पहले, मैं यह देख सकता हूं कि इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता संख्या *3,4* और 5 के प्रति दिखाए गए अनुग्रह को पूर्ववर्ती के रूप में उद्धृत नहीं किया जाएगा।

जे एस टी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मयंक गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चरखी दादरी

माननीय ए. एल. बहरी से पहले।जे.

बालबीर सिंह-याचिकाकर्ता *बनाम*
हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता।

1989 की नियमित दूसरी अपील *सं.* 540

5 नवंबर, 1993

भारत का *संविधान,* 1950-अनुच्छेद *226-पंजाब* राज्य *वर्ग(चतुर्थ) सेवा* नियम *1963 पंजाब राज्य* (चतुर्थ *श्रेणी) सेवा (हरियाणा दूसरा संशोधन) नियम 1973-आर. एल. द्वारा संशोधित। 9 (ई)-चयन* श्रेणी-उसका *अनुदान।*

अभिनिर्धारित किया गया कि निर्देशों की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि पहले से ही स्थानांतरित किए गए व्यक्ति पिछले विभाग या कार्यालय में अपनी सेवा की वरिष्ठता खो देंगे।यदि यही व्याख्या होती, तो ये निर्देश स्पष्ट रूप से ऊपर पुनरुत्पादित नियमों के नियम 9 (ई) का उल्लंघन होते।हालाँकि, ये निर्देश, यदि